न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 8/26 — दायर दिनांक: 22.05.2026

जीसीएमएस न. 2026/172

उनवान

1 विश्वप्रिय 2 यतेन्द्र 3 दिनेश पुत्रान 4 मुन्नी पत्नि कैलाश 5 मधु 6 ऋषि पुत्रान कैलाश 7 रश्मी पुत्री कैलाश 8 संतोष पत्नि जगदीश 9 नैमीचन्द पुत्र जगदीश 10 कृष्णा पुत्री जगदीश जातियान बागरी ब्राह्मण निवासीयान सैंधली तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रार्थीगण

बनाम

1 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर 2 वीरेन्द्र पुत्र दौलता जाति बागरी ब्राह्मण निवासी सैंधली तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.

अधिवक्ताः–

1 श्री पवन तिवारी ——प्रार्थीगण

2 श्री विनोद शर्मा —अप्रार्थी सं. 2

निर्णय दिनांक 27.05.2026

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 116 रकवा 0.1600 व आराजी खसरा नम्बर 115 रकवा 0.1500 वाके ग्राम सैंधली तहसील भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या दो मौके पर कब्जे के अनुसार काबिज काश्तकार एवं खातेदार है।

कैलाश पुत्र लटूर फौत हो चुका है जिसके प्रार्थीगण सायलान संख्या 4 लगायत 7 वारिस है तथा जगदीश पुत्र लटूर फौत चुका है जिसके प्रार्थीगण सायलान संख्या 8 लगायत 10 वारिस हैं। जिनको कैलाश व जगदीश के तरके पर पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

सेटलमेन्ट द्वारा नवीन नक्शा ट्रैस में प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित आराजीयात जिसका पुराना खसरा नम्बर 89 रकवा 1 बीघा जिसका नया खसरा नम्बर 116 रकवा 0.1600 हैक्टेयर को नवीन नक्शा ट्रैस में खसरा नम्बर 115 रकवा 0. 1500 हैक्टेयर के पीछे दिखाया गया है। जबकि पुराना खसरा नम्बर 89 रकवा 1 बीघा जिसका नया खसरा नम्बर 116 रकवा 0.1600 हैक्टेयर पूर्व के नक्शा ट्रैस में भुसावर–रणधीरगढ सडक से लगा हुआ था। इस प्रकार नवीन नक्शा ट्रैस मौके के विपरीत एवं गलत दिखाया गया है। जिसको संशोधित कर पुराने नक्शा ट्रैस के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण की खातेदारी का आराजी खसरा नम्बर पुराना 89 रकवा 1 बीघा जिसका नया खसरा नम्बर 116 रकवा 0.1600 हैक्टेयर को पूर्व के नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

ट्रैस में भुसावर–रणधीरगढ सडक से लगा हुआ था जिसके स्थान पर पुराना खसरा नम्बर 532 / 89 रकबा 18 बिस्वा जिसका नया खसरा नम्बर 115 रकबा 0.1500 हैक्टेयर पर दर्ज कर दिया है जिसे दुरूस्त कर पुराना खसरा नम्बर 532 / 89 रकबा 18 बिस्वा जिसका नया खसरा नम्बर 115 रकबा 0.1500 हैक्टेयर के स्थान पर आराजी खसरा नम्बर पुराना 89 रकबा 1 बीघा जिसका नया खसरा नम्बर 116 रकबा 0.1600 हैक्टेयर को पूर्व नक्शा ट्रैस अनुसार दुरूस्त कर वर्तमान नक्शा ट्रैस में सही फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थीगण को दिनांक 15.05.2026 को धमकी दी कि प्रार्थीगण की आराजी के नक्शा ट्रैस में हुई अशुद्धि तरमीम के आधार पर खसरा नम्बर 115 की आड में तुम्हारे खसरा नम्बर 116 की भूमि पर कब्जा करके रहूँगा तथा उस पर निर्माण करते हुए कब्जा कर दीगर व्यक्तियों के लिए रहन, वय व मुन्तकिल कर दूँगा और तुम्हें तुम्हारी आराजी से बेदखल कर दूंगा। जबकि अप्रार्थी गैरसायल संख्या 2 का उक्त आराजी से कोई सबंध व सरोकार किसी किस्म का आज तक नहीं रहा है।

अप्रार्थी गैरसायल संख्या 2 लठैत व ताकतवर किस्म का व्यक्ति है तथा हर प्रकार से साधन सम्पन्न व प्रभावशाली हैं जो कि प्रार्थीगण सायलान के काश्त करने में व्यवधान पैदा कर नुकसान करने पर आमादा है। दिनांक 15.05.2026 को प्रार्थीगण सायलान ने अप्रार्थी गैरसायल संख्या 2 से विवादग्रस्त आराजी के नक्शा ट्रैस में हुई अशुद्धि को शुद्ध कराने हेतु कहा तो अप्रार्थी गैरसायल संख्या 2 ने नक्शा ट्रैस की अशुद्धि को दुरूस्त कराने से इंकारी करते हुए खुले आम धमकी दी है कि मैं तो अच्छी अच्छी व सडक के सहारे लगी मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर उस पर निर्माण करके किसी दीगर व्यक्ति को रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए कब्जा देकर तुम्हें अच्छी व मौके की आराजी से बेदखल कर महरूम कर दूंगा एवं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की आराजी का उपयोग व उपभोग भी नहीं करने दूगां। अतः प्रार्थीगण सायलान, अप्रार्थी गैरसायल संख्या 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं।

प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे कि वो आराजी खसरा नंबर 115 की आड में आराजी खसरा नंबर 116 रकबा 0.16 हैक्टे. पर प्रार्थीगण की कब्जे व काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें और ना ही किसी दीगर व्यक्ति को रहन, वय व मुन्तकिल करें तथा मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

हमने नियत तारीख पेशी पर वकील प्रार्थीगण एवं कैवियटकर्ता/अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता को सुना गया। कैवियटकर्ता/अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अवगत कराया कि खसरा नंबर 115 रकबा 0.15 हैक्टे. वाके ग्राम सैंधली तहसील भुसावर में स्थित है, जिसके संपूर्ण भाग का प्रार्थी/कैवियटकर्ता काबिज काश्तकार एवं खातेदार है तथा मौके पर प्रार्थी ही आराजी पर शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। जिस पर अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण का कोई भी संबंध व सरोकार किसी भी प्रकार का आज तक नहीं रहा है।

हमने बहस उभयपक्ष एवं उनके द्वारा दी गई दलीलों पर मनन किया गया। पत्रावली व इसमें प्रस्तुत दस्तोवजी रिकॉर्ड का भली भांति अध्ययन किया गया तो पाया गया कि कैवियटकर्ता/अप्रार्थी संख्या 2, आराजी खसरा नंबर 115 का रिकॉर्डेड खातेदार है।

अतः प्रार्थीगण, कैवियटकर्ता/अप्रार्थी संख्या 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

अतः कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148ए जा.दी. स्वीकार किया जाता है। तथा कैवियटकर्ता/अप्रार्थी संख्या 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22.05.2026 भी निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज0